

क

प्राचीन द्वारा ही उखाड़ा गया है। अप्राचीन खनन से प्राप्त
भूमि का स्वतंत्र अधिकार नहीं है व अप्राचीन खनन से
केवल खनन ही भूमि का मालिक मुद्राया नहीं उठा सकता
है वस वसुलाय सुनी गई। पत्रावली का प्रवर्धन
किया गया। अप्राचीन वहील का अर्धरात्र 039R7 CPC
अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्तव्यस किंक
12/10/18 को पेश हो।

४

12 ¹⁰/₁₀ पत्रावली पर ही वसुलाय इप
वसुलाय वसुलाय हेतु लक्ष्य अर्ध ४
पत्रावली कि 22/10/18 को पर ही

22 ¹⁰/₁₈ पत्रावली पर ही वसुलाय इप
वसुलाय वसुलाय सुनी जाकर
इस सारथ की निवेदना जारी
की जाती है कि इभय पक्ष
बाद के निवेदना तक

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व शुभम जाजख के खबर
नम्बर 464 रजख 12 विधा
01. विस्व भूमि की राजस्व रेकर्ड
की यथास्थित व्यापम रखी जाये
एवं दोनों पक्ष एक दूसरे के
कार्य कारख व उपयोग - उपभोग
में किसी प्रकार की देखबन्दगी
उपज्ज नही करे एवं न ही किसी
मन्य से करवे। ~~भक्तवत्~~ के समय
शुभा होका नम्बर व का हो। एवं
मूल बाप के साथ नली हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपज्ज कारी
नीपरी विभाग, जयपुर